फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

गोपाल बनाम उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण

केस संख्या : 12/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष वियरण
.01.2024	दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 02/2024 एवं टी आई संख्या 02/2023 ब-उनवानी सीताराम बनाम जेडीए वगैरह में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 08.02.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर	
8/2/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित है। अप्रार्थी सं. 2 की ओर वकील श्री बनवारी कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी श्रीमती मुक्ता राव RAS का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) की पीठासीन अधिकारी श्री मुक्ता राव R.A.S. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रा. पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर	